कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 1353 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक अक्टूबर, 06– 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– एन0टी0पी0सी0 रिहन्दनगर , बीजपुर–सोनभद्र द्वारा जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण मे प्रभावित 555.759 है0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के नियमितीकरण के सम्बन्ध मे ।

संदर्भः– 1–आपका पत्रांक–2723 / 11–सी **FP/UP/THERMAL/36097/2018** दिनांक–31.07.2023
2–प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट का पत्र संख्या–438 / रेनुकूट / 15–6 दिनांक 01.08.2023
3–इस कार्यालय का पत्रांक 578 / मी0क्षे0 / 33 दिनांक 11.08.2023
4–प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट का पत्रांक 610 / रेनुकूट / 15–6 दिनांक 11.08.2023
5–इस कार्यालय का पत्रांक 649 / मी0क्षे0 / 33 दिनांक 16.08.2023
6–प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट का पत्रांक–883 / रेनुकूट / 15–6 दिनांक 09.09.2023
7–इस कार्यालय का पत्रांक 1129 / मी0क्षे0 / 33 दिनांक 21.09.2023
8–प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट का पत्रांक–1160 / रेनुकूट / 15–6 दिनांक 03.10.2023

महोदय,

विषयक प्रकरण संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में संदर्भित पत्र दिनांक–31.07..2023 द्वारा इंगित कमियो का निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 883 / रेनुकूट / 15–6 दिनांक 09.09.2023 एवं पत्रांक–1160 / रेनुकूट / 15–6 दिनांक–03.10.2023 **(छाया प्रति संलग्न)** द्वारा संस्तुति सहित निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रेषित किया है :–

क्र0 सं0	मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक–2723 / 11–सी **FP/UP/THERMAL/36097/2018** लखनऊ दिनांक–31.07.2023 में उल्लिखित बिन्दु ।	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	...प्रस्ताव मे सलग्न किये गये प्राक्कलन मे वार्षिक वृद्धि दर (Escalation Rate) त्रुटिपूर्ण ली गयी है। अतः अग्रिम मृदा कार्य वर्ष को छोडकर आगामी वर्षो मे प्रतिवर्ष सही वार्षिक वृद्धि दर (Escalation Rate) के अनुसार संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं उससे संबंधित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करते हुए ऑनलाइन प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।	1– प्रश्नगत प्रकरण मे तैयार कराये गये संशोधित व्यय अनुमान पत्र के प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य), दितीय चरण (वृक्षारोपण) एवं तृतिय चरण (अनुरक्षण प्रथम वर्ष) मे अंकित धनराशि मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या–जी–152 / 15–1(सीलींग दर) दिनांक–30.01. 2023 के अनुसार लिया गया है तथा चतुर्थ चरण (अनुरक्षण द्वितीय वर्ष) [illegible] (अनुरक्षण पंचम वर्ष), अष्टम चरण (अनुरक्षण षष्टम वर्ष), नवम् चरण (अनुरक्षण सप्तम वर्ष), दशम चरण

		(अनुरक्षण अष्टम वर्ष), एकादश चरण (अनुरक्षण नवम् वर्ष), मे अंकित धनराशि मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा लखनऊ के पत्रांक—999/2—37—2 (सीलिंग दर) दिनांक—17.02.2021 के अनुसार लिया गया है। 2— प्रश्नगत प्रकरण मे तैयार किये गये संशोधित व्यय अनुमान पत्र के प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य) को छोड़कर आगामी वर्षो मे महगाई व मुद्रास्फीति **(Cost Escalation)** को ध्यान मे रखते हुए मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पूर्व मे जारी दिशा निर्देशो के कम मे प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से अनुमानित बृद्धि को भी समावेसित करते हुए संशोधित व्यय अनुमान पत्र एवं वांछित प्रमाण पत्र ऑन लाईन पार्ट—2 मे यथास्थान अपलोड करा दिया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या—1160/रेनुकूट/15—6 दिनांक 03.10.2023 मे उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण मे मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या—जी—152/15—1 (सीलिंग दर) दिनंक—30.01.2023 व मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्याकारी अधिकारी, उ0प्र0, कैम्पा लखनऊ के पत्रांक—999/2—37—2(सीलिंग दर) दिनांक 17.02.2021 द्वारा जारी सीलिंग दर के आधार पर तैयार किया गया है| ~~जो नियमानुसार है~~ ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतदसह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0 रवीन्द्रा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

सख्या— /अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि—प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट को सन्दर्भित पत्र के कम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—उप महाप्रबन्धक (मा0सं0) एन0टी0पी0सी0 रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर, बीजपुर जिला— सोनभद्र को सन्दर्भित पत्र के कम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन0 रवीन्द्रा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर